भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद

प्रथम अधिवेशन की सामान्य रिपोर्ट

दिनांक : 03-04 फरवरी 2024
विषय : भारतीय ज्ञान परम्परा एवं भाषा-शिक्षण : चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ
आयोजक : अलायंस विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक
स्थान : अलायंस विश्वविद्यालय का सेंट्रल कैंपस
विशेष सहयोग : कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिन्दी प्राध्यापक संघ

दिवस- एक : 03 फरवरी

उद्घाटन सत्र :

दिनांक 03 फरवरी 2024 को अलायंस विश्वविद्यालय, बेंगलुरु एवं 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित 'भारतीय ज्ञान परम्परा एवं भाषा-शिक्षण : चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ' विषयक द्विदिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन उदघाटन-सत्र सम्पन्न हुआ।

इस सत्र का प्रारम्भ सामूहिक दीप-प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वन्दना से हुआ। दीप-प्रज्ज्वलन में अलायंस विश्वविद्यालय के अकादमिक अफेयर्स के डीन प्रो. वी. जे. बैरा रेड्डी, अकादमिक अफेयर्स के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. बी. प्रेस्टली शान, रजिस्ट्रार जनरल श्रीमती सुरेखा शेट्टी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के डीन प्रो. विनोद मिश्र, केन्द्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के हिन्दी-विभागाध्यक्ष प्रो. संजीव कुमार दुबे तथा इस सत्र का संचालन कर रहे 'कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिन्दी प्राध्यापक संघ' के महासचिव डॉ. विनय कुमार यादव सम्मिलित हुए।

दीप-प्रज्ज्वलन के पश्चात उपर्युक्त सभी अतिथियों ने अपने-अपने वक्तव्य भी प्रस्तुत किये। प्रो. वी. जे. बैरा रेड्डी ने अपने स्वागत भाषण में इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों तथा विद्वानों का अलायंस वि.वि. में स्वागत करते हुए निर्धारित संगोष्ठी-विषय से सम्बन्धित कुछ मूलभूत प्रश्न

उठाये तथा इस बात की अपेक्षा व्यक्त की कि इस दो दिवसीय गोष्ठी के चिन्तन-मंथन में इन प्रश्नों के उत्तर तलाश किये जायें तथा इन समस्याओं का हल भी प्रस्तुत किया जाय। प्रो-वाइस चांसलर डॉ. बी. प्रेस्टली शान जी ने अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय ज्ञान की परम्परा को भाषा से जोड़ने पर बल दिया। रजिस्ट्रार जनरल श्रीमती सुरेखा शेट्टी ने अलायंस वि.वि. के स्वरूप और उसके अकादमिक ढाँचे का विवरण-परिचय प्रस्तुत किया। प्रासंगिक उद्बोधन में प्रो. विनोद मिश्र जी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए आपस में इनके अनुवाद पर बल दिया।

इस क्रम में प्रो. संजीव कुमार दुबे जी ने इस सम्पूर्ण गोष्ठी की प्रस्तावना तथा 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के गठन की आवश्यकता तथा औचित्य को बिन्दुवार प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्कर्षतः स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भाषा-सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं यदि समय रहते हम उनका पालन-अनुपालन नहीं कर लेंगे तो उनकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जायेगी। 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' का गठन भाषा के इन्हीं बहुस्तरीय प्रयासों को सफल बनाने के लिए किया गया है। अन्त में वि.वि. के मैनेजमेंट विभाग में मार्केटिंग की प्रोफ़ेसर डॉ. इंदु शर्मा ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

विशेष सत्र :

इस विशेष सत्र का संचालन डॉ. अनुपमा तिवारी ने किया। इसमें अलायंस वि.वि. के प्रो-चांसलर श्री अभय चेब्बी ने विशिष्ट सम्बोधन देते हुए संगोष्ठी के विषय-शीर्षक पर कई आयामों से चर्चा करते हुए इसे आधुनिक और प्रासंगिक ज्ञान-विज्ञान से जोड़ने पर बल दिया। अकादमिक अफेयर्स के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. बी. प्रेस्टली शान ने पी. पी. टी. (Power Point Presentation) के माध्यम से अलायंस वि.वि. के उद्देश्यों एवं गतिविधियों तथा उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। कुल सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक प्रो. के. ए. वेंकटेश ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के भविष्य पर अपना वक्तव्य दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सचिव डॉ. मनीष जोशी ने भारतीय ज्ञान परम्परा पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में मिला-जुला भाषण दिया और भारतीय ज्ञान परम्परा पर लगनेवाले आरोपों पर उपस्थित प्रतिभागियों की राय माँगी। कई प्रतिभागियों ने अपने विचार अपनी जगह खड़े होकर माइक के माध्यम से व्यक्त किया। सचिव जी ने उन्हें नोट भी किया। उन्होंने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP : 2020) में उल्लिखित भाषा-सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में स्पष्ट

करते हुए कहा कि ये पॉलिसी है और इसे केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया सुझाव समझना चाहिए। ये कोई एक्ट (अधिनियम) नहीं कि जिसके पालन की बाध्यता या अनिवार्यता हो। इस सत्र के वक्ताओं तथा अतिथियों का आभार ज्ञापन प्रो. संजीव कुमार दुबे की तरफ़ से किया गया।

तकनीकी सत्र :

उद्‌घाटन सत्र के पश्चात दो अलग-अलग ऑडिटोरियम में दो अलग-अलग सत्रों का संचालन एक साथ सम्पन्न हुआ। इन समानान्तर सत्रों के सत्र- एक के अध्यक्ष-मण्डल में प्रो. मिथिलेश कुमार सिंह (हजारीबाग, झारखण्ड) तथा प्रो. एस. आर. जयश्री (केरल, वि.वि.) सम्मिलित थे। इस सत्र में पूर्व-निर्धारित प्रपत्र प्रस्तोताओं ने अपने-अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें प्रमुख थे- डॉ. प्रियदर्शिनी, डॉ. रुपा सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, डॉ. लीना सामुअल, डॉ. रंजीत एम., डॉ. रंजीत कुमार।

सत्र- दो के अध्यक्ष-मण्डल में प्रो. नवीनचन्द्र लोहनी एवं प्रो. के. अजिता सम्मिलित थे। इसमें डॉ. कंचन यादव, डॉ. आशा गहलोत, डॉ. सत्यप्रकाश तिवारी, डॉ. जोतिमय बाग, डॉ. शुभ्रा उपाध्याय दुबे, डॉ. अनुपमा तिवारी ने अपने-अपने शोधपत्र प्रस्तुत किये।

ऑनलाइन सत्र :

ऑनलाइन माध्यम से भी एक सत्र का आयोजन हुआ। इसमें पाँच देशों के विदेशी हिन्दी-विद्वानों का व्याख्यान हुआ। सत्र का संचालन चीन के क्वान्गतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी ने किया।

विदेशी विद्वानों के सत्र में पहले वक्ता के रुप में रुस की प्रो. तात्याना ओरंस्काया ने अपने वक्तव्य में बताया कि वे अपने वि. वि. में मानक हिन्दी पढ़ाती हैं, साथ ही प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश का भी परिचय देती हैं। ताशकंद प्राच्य विश्वविद्यालय, उज़्बेकिस्तान की प्रो. उल्फत मुखीबोवा ने कहा कि हिन्दी की जड़ें वेदों तथा उपनिषदों से जुड़ी हैं। प्रो. उल्फत ने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ नाट्य शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि नाट्य शास्त्र में नाटक के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रुपों का वर्णन है, जो वे सब पहले रुसी भाषा में पढ़ते थे, परन्तु उज़्बेकिस्तान के सोवियत संघ से अलग होने के बाद नाट्य शास्त्र का उज़्बेक भाषा में भी अनुवाद हुआ।

तरास शेव्चेंको, कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यूक्रेन के प्रोफ़ेसर यूरी बोतविंकिन ने युक्रेन में हिन्दी-शिक्षण पर प्रकाश डाला। प्रो. युरी ने हिन्दी से जुड़ी अपनी विभिन्न चिन्ताओं को व्यक्त किया।

साथ ही हिन्दी-अध्यापन को उबाऊ होने से बचाने तथा हिन्दी-शिक्षण में नवाचार के प्रयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उप्साला विश्वविद्यालय, स्वीडन के प्रो. हांइस वरनर वेस्लर ने स्वीडन में हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारत में हिन्दी की स्थिति पर भी अपना विचार रखा तथा कहा कि शायद हिन्दी के संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनने के बाद भारत में हिन्दी की स्थिति बदल सके। कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय, डेनमार्क के प्रो. एलमेर जोसफ रेनर ने डेनमार्क में हिन्दी-शिक्षण पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी का समाहार करते हुए संगोष्ठी के समन्वयक प्रो. संजीव कुमार दुबे ने कहा कि हिन्दी लोकभाषा, जनभाषा, राजभाषा से होते हुए विश्व-भाषा की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस संगोष्ठी से जुड़े सभी विदेशी विद्वानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आशा करते हैं कि हिन्दी रूपी सेतु से भारत का वैश्विक सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ होगा।

सायंकालीन सत्र :

सायंकालीन सत्रों में पूर्व निधारित दो सत्रों को समानान्तर ढंग से एक ही समय में अलग-अलग न आयोजित करके उन्हें संयुक्त रूप से एक साथ ही आयोजित किया गया। सत्र का संचालन डॉ. प्रियदर्शिनी ने किया तथा इसके अध्यक्ष-मण्डल में प्रो. श्रद्धा सिंह, डॉ. राजेश श्रीवास्तव, प्रो. टी. जे. रेखा रानी तथा प्रो. गुरमीत सिंह सम्मिलित थे। विभिन्न विषयों पर जिन प्रतिभागियों ने शोधपत्र प्रस्तुत किये उनके नाम हैं- डॉ. रमिता गुरव, डॉ. प्रवीण यादव, डॉ. जयलक्ष्मी, डॉ. शेख़ लतीफ़, डॉ. दस्तगीर देशमुख। शोधपत्र-वाचन के पश्चात अध्यक्ष-मण्डल के समस्त सदस्यों ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन प्रस्तुत किये।

रात में, जहाँ प्रतिभागियों के आवास की व्यवस्था थी वहाँ वि. वि. के सांस्कृतिक विभाग से जुड़े विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कुछ प्राध्यापकों ने भी अनौपचारिक रूप से गीत-ग़ज़ल प्रस्तुत किये।

दिवस- दो : 04 फरवरी

प्रथम सत्र :

प्रथम सत्र का आरम्भ निर्धारित समय से कुछ पूर्व ही हो गया। सत्र का संचालन डॉ. श्रीधर पी. डी. ने किया। अध्यक्ष-मण्डल में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की प्रो. अमर ज्योति, बी. एच. यू. के प्रो. प्रभाकर सिंह तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रो. सत्या उपाध्याय शामिल थे। इस सत्र में कई प्रतिभागियों ने भाषा-शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत किये, जिनके नाम हैं- डॉ. दीपक त्रिपाठी, डॉ. अनुराधा पाकलपाटी, डॉ. गुलनाज बेगम, ममता वर्लेकर, डॉ. विशाल विक्रम सिंह, डॉ. पूजा पाठक, डॉ. आशुतोष तिवारी तथा डॉ. सूर्या बोस।

परिषद के संगठन पर विचार-विमर्श :

इस सत्र के पश्चात 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के सांगठनिक स्वरूप तथा इसके गठन के उद्देश्यों पर व्यापक चर्चा हुई। इसके सूत्रधार थे बी. एच. यू. के प्रो. आशीष त्रिपाठी। उन्होंने मंच से इस परिषद पर एक संक्षिप्त और सारगर्भित भूमिका के साथ ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से परिषद से सम्बन्धित किसी भी पहलू पर राय माँगी। जो प्रतिभागी जहाँ बैठा था वहीं से माइक के माध्यम से अपना विचार व्यक्त कर सकता था। कई प्रतिभागियों ने परिषद के गठन के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये, माँग रखी, राय व्यक्त की, दिशा-निर्देश दिया, अपेक्षा व्यक्त की, उम्मीद जतायी। इन समस्त बिन्दुओं को लिखा जा रहा था तथा कुछ बिन्दुओं पर अन्त में परिषद के वर्तमान संयोजक प्रो. संजीव कुमार दुबे ने तात्कालिक स्पष्टीकरण भी दिया। इस 'ओपन सेशन' के बाद अंत में प्रो. आशीष त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि ये परिषद के संवैधानिक और विधिवत गठन के पूर्व की अनौपचारिक बैठक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये बैठक इसलिए भी आवश्यक थी कि अब हम 'व्हाट्स अप' के एक आभासी ग्रुप से वास्तविक धरातल पर संगठित होने जा रहे हैं तो तमाम वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने घोषणा की कि एक वर्ष की अवधि में परिषद को रजिस्टर्ड कराते हुए तथा इसके स्वरूप को सुव्यवस्थित करते हुए इसे उस बिन्दु तक ले जाना है जहाँ हम एक चुनाव-प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों अथवा सदस्यों का चयन कर सकें। इस अनौपचारिक प्रथम अधिवेशन से लेकर औपचारिक विधिक गठन तक पहुँचने की समस्त प्रक्रियाओं तथा कार्यों को सम्पादित करने के लिए लगभग 50 व्यक्तियों की एक सूची भी प्रो.

आशीष त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार लगभग एक हज़ार हिन्दी प्राध्यापकों के आभासी ग्रुप को वास्तविक धरातल पर लाने का प्रथम सोपान सम्पन्न हुआ।

समापन सत्र :

समापन-सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सार्थक रहा। इस सत्र के अंत में जब अलीगढ़ मुस्लिम वि. वि. के प्रो. शम्भुनाथ तिवारी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा भी कि मैंने आज तक किसी संगोष्ठी के समापन-सत्र को इतना सार्थक तथा इतना गम्भीर नहीं देखा।

वस्तुतः इस सत्र में जो भी वक्ता थे उन्होंने दो दिवसीय संगोष्ठी के किसी भी सत्र में अपना वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए जब इस समापन सत्र में उन्हें वक्तव्य का अवसर मिला तो उन्होंने महज़ औपचारिक उद्‌बोधन-सम्बोधन से ही काम नहीं चलाया, बल्कि संगोष्ठी के विषय पर विचारोत्तेजक वक्तव्य दिये।

वक्तव्यों का क्रम जे. एन. यू. से आयीं प्रो. बंदना झा से शुरु हुआ। तत्पश्चात हैदराबाद केन्द्रीय वि. वि. के प्रो. गजेन्द्र पाठक, फिर वेंकटेश्वर विवि., तिरुपति के प्रो. राम प्रकाश, इनके उपरान्त बी. एच. यू. के प्रो. आशीष तिपाठी और अन्त में अलीगढ़ मुस्लिम विवि. के प्रो. शम्भुनाथ तिवारी का वक्तव्य हुआ। सभी ने भारतीय ज्ञान परम्परा एवं भाषा-शिक्षण पर यादगार वक्तव्य प्रस्तुत किये। इस सत्र में सबका स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एस. ए. मंजुनाथ द्वारा किया गया। सत्र का संचालन डॉ. एंथोनी ओलिवर ने किया।

सम्मान-पत्र का वितरण :

समापन सत्र के उपरान्त सम्मान का भी क्रम चला। इसमें वि. वि. की तरफ़ से मंचासीन अतिथियों का सम्मान-पत्र देकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। इसके पश्चात संगोष्ठी के आयोजक-मण्डल का सम्मान परिषद की तरफ़ से किया गया। विशेष रूप से डॉ. अनुपमा तिवारी और उनके समस्त सहयोगियों का सम्मान-पत्र देकर अभिनन्दन किया गया।

डॉ. एस. ए. मंजुनाथ जी के आभार-ज्ञापन पर इस दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। इनके वक्तव्य में उठाये गये एक विशेष मुद्दे का उल्लेख इस रिपोर्ट की परिशिष्ट में किया गया है।

परिशिष्ट :

कर्नाटक में हिन्दी की वर्तमान स्थिति : नीतियों से उपजी विसंगति

इस संगोष्ठी में एक विशेष मुद्दा उभरकर सामने आया। ये मुद्दा 'भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद' के उद्देश्यों तथा उसकी चिन्ताओं से सम्बद्ध है। इस मुद्दे को दक्षिण भारत से आये कई प्रतिभागियों ने उठाया। सर्वप्रथम उद्घाटन सत्र का संचालन कर रहे डॉ. विनय कुमार यादव ने अपने संचालन के दौरान इस मुद्दे को पटल पर रखा और हिन्दी-भाषी राज्यों से आये प्राध्यापकों से इस दिशा में सहयोग की अपेक्षा की।

दूसरे दिन (04 फरवरी) प्रथम सत्र का संचालन कर रहे डॉ. श्रीधर पी. डी. ने भी ज़ोरदार ढंग से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। इसी सत्र में तमिलनाडु से आयीं डॉ. अनुराधा पाकलपाटी ने भी इस मुद्दे पर सहयोग की अपील की और अन्त में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहीं 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की प्रो. अमर ज्योति ने तो इस मुद्दे पर बहुत ही भावनात्मक और मर्मभेदी वक्तव्य दिया। उनका वक्तव्य एक गुहार जैसा था जो वे दक्षिण भारत में हिन्दी को बचाने के लिए लगा रही थीं। पूरे कार्यक्रम की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान इस संगोष्ठी के आयोजक-मण्डल के अहम सदस्य डॉ. एस. ए. मंजुनाथ ने इसे 'दुख भरी कहानी' की संज्ञा देते हुए अत्यन्त करुणा और क्षोभ के साथ पूरे मुद्दे को प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त सभी अहिन्दी भाषी प्रदेश के हिन्दी-प्राध्यापकों के अलग-अलग वक्तव्यों से जो कहानी उभरकर सामने आयी वो बिन्दुवार इस प्रकार है–

01. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) में भाषा-सम्बन्धी जो नीतियाँ सुझायी गयी हैं उनका पालन करनेवाला कर्नाटक ही सबसे पहला राज्य है। अफ़सोस कि इस शीघ्र अनुपालन के पीछे कुछ और ही उद्देश्य छिपा था। पहली बात तो ये कि इसे स्कूल स्तर पर न लागू करते हुए सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च कक्षाओं में लागू कर दिया गया। दूसरी बात कि भाषा-अध्ययन के अन्तर्गत कन्नड़ को अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी बात कि भाषा-अध्ययन की अवधि को 02 वर्ष से घटाकर 01 वर्ष कर दिया गया।

02. जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का दिशा-निर्देश अस्तित्व में आया तो देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था। सन 2020 की 29 जुलाई को इसकी घोषणा हुई और 2021 के सत्र से कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया। ये अत्यन्त हड़बड़ी में की गयी जल्दबाज़ी थी।

क्या जल्दबाज़ी में राज्य सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय युक्तियुक्त और तर्कसंगत है कि किसी छात्र ने इण्टरमीडिएट (10+2) स्तर तक दूसरी भाषा में पढ़ाई की हो और स्नातक स्तर पर अचानक उसे किसी अन्य भाषा का सामना करना पड़े।

03. जैसे ही कर्नाटक राज्य सरकार ने कन्नड़ को अनिवार्य किया, विद्यार्थियों के समक्ष दूसरी भाषा के रूप में सिर्फ़ अँग्रेज़ी का ही विकल्प अधिक प्रासंगिक और उपयोगी हो गया। हिन्दी का विकल्प आश्चर्यजनक ढंग से लुप्त हो गया। इस जल्दबाज़ी से छात्र और अभिभावक दुविधा की स्थिति में फँस गये। जो विद्यार्थी 12 वीं तक कन्नड़ से अनभिज्ञ थे, भले ही वे व्यावहारिक रूप से कन्नड़-भाषी थे, उन्हें अचानक स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कन्नड़-भाषा और साहित्य का व्यापक पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाया जा सकता था। विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों ही असहाय और निरुपाय हो गये थे।

04. कोरोना-काल में एक समस्या यह भी थी लगभग सभी विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं का संचालन कर रहे थे और अध्यापकों का वेतन 50 प्रतिशत, 40 या 30 प्रतिशत तक हो गया था। विद्यार्थियों से, फीस लगातार न मिल पाने की स्थिति में कहीं-कहीं छः-छः महीने तक वेतन नहीं मिल रहा था। इस कोढ़ में खाज ये भी हुई कि निजी संस्थानों के लगभग 04 हज़ार हिन्दी-अध्यापकों को छाँटकर बाहर कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा विज्ञान, कॉमर्स तथा समाज विज्ञान के अन्यान्य विषयों पर NEP-2020 के सुझावों को लागू नहीं किया गया, जबकि सुधार के नाम पर सबसे पहले भाषा पर ही गाज गिरी; वो भी माल हिन्दी-भाषा पर। यही नहीं, अँग्रेज़ी के बाद कन्नड़ को अनिवार्य करने से कर्नाटक में तमिल, तेलुगु तथा मलयालम पर भी संकट आ गया।

05. जो शिक्षक सरकारी संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त थे उन्हें विशेष परेशानी नहीं हुई, लेकिन निजी संस्थानों के लगभग 04 हज़ार हिन्दी-शिक्षक बेरोज़गार हो गये। ध्यान रहे ये समस्त हिन्दी-शिक्षक कन्नड़-भाषी थे। इनमें से एक-दो प्रतिशत, जिनके पास कन्नड़ पढ़ाने की अर्हता थी वे समझौता करते हुए कन्नड़ पढ़ाने पर राज़ी होकर जीविकोपार्जन में लग गये।

06. इन समस्त हिन्दी-शिक्षकों ने शिक्षामंत्री तथा अन्यान्य नेताओं-अधिकारियों से मिलकर गुहार लगायी, गृहमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन जब कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ तो अन्ततः न्यायालय की शरण में गये। यहाँ से उन्हें राहत मिली और पूर्वस्थिति को यथारूप बनाये रखने का आदेश मिला। हाईकोर्ट ने 'स्टे' दे दिया। अभी तक कोई स्थायी निर्णय नहीं हुआ है।

07. दो भाषाओं के विकल्प होने पर जब एक भाषा कन्नड़ को अनिवार्य कर दिया जायेगा तो स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी दूसरी भाषा के रूप में अँग्रेज़ी का ही चयन करेगा। ऐसे में जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी वे कुछ इस प्रकार हैं–

(क) लगभग एक-दो दशक बाद कर्नाटक में सिर्फ़ अँग्रेज़ी और कन्नड़ जाननेवाले ही उपलब्ध होंगे।

(ख) कर्नाटक राज्य हिन्दी में पिछड़ जाने के कारण भारत के अन्य राज्यों से कट जायेगा।

(ग) कन्नड़ से हिन्दी और हिन्दी से कन्नड़ अनुवाद किये गये साहित्य का अभाव हो जायेगा, जो भविष्य में और भी घटता चला जायेगा। इससे न तो हिन्दी के साहित्यकार कन्नड़-भाषियों तक पहुँच सकेंगे और न ही कन्नड़ के साहित्यकार हिन्दी-भाषियों तक पहुँच पायेंगे।

(घ) हिन्दी की जानकारी कम होने के कारण कर्नाटक राज्य के नेताओं की केन्द्रीय राजनीति में भागीदारी घटेगी, वर्चस्व घटेगा। ये अहिन्दी-भाषी नेता न तो अपनी बात शेष भारत को बता सकेंगे और न ही उनकी बातें समझ सकेंगे।

08. इस प्रकार की हिन्दी-विरोधी गतिविधियों के कारण सम्पूर्ण दक्षिण भारत उत्तर भारत से कट जायेगा। हिन्दी से जिस राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा की जाती है, वह खण्डित हो जायेगी। विविधता में एकता लाने का जो काम भाषा के स्तर पर हिन्दी कर रही है, वो अप्रासंगिक हो जायेगा।

09. एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से व्यवसाय तथा नौकरी आदि के सिलसिले में हज़ारों लोग कर्नाटक में स्थायी रूप से बस चुके हैं। वे सब अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ाना चाहते हैं। यदि स्कूलों तथा कॉलेजों से हिन्दी को समाप्त कर दिया गया तो ये सब कहाँ जायेंगे ?

राज्य सरकार के इस विसंगतिपूर्ण तथा विडम्बनापूर्ण आदेश से कन्नड़ और ग़ैर कन्नड़-भाषियों के बीच वैमनस्य और नफ़रत की भावना ने जन्म ले लिया है, जिसके दिन-ब-दिन उत्तरोत्तर बढ़ने की ही उम्मीद है।

10. ‘भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद’ ने इस मुद्दे पर ‘कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिन्दी प्राध्यापक संघ’ के उपस्थित पदाधिकारियों से वादा किया है कि उनकी हर सम्भव मदद की जायेगी। मौखिक रूप से कई प्रोफ़ेसरों ने संगोष्ठी में इस मुद्दे को उठानेवाले साथी प्राध्यापकों से व्यक्तिगत स्तर पर भी आश्वासन दिया है कि वे किसी भी प्रकार के आन्दोलन और अभियान में उनके साथ हैं।

एक तात्कालिक आश्वासन या निर्णय इस बात का भी हुआ है कि भविष्य में ‘भारतीय हिन्दी प्राध्यापक परिषद’ का जो भी आयोजन-अधिवेशन होगा, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रिपोर्ताज : **डॉ. दीपक त्रिपाठी, डॉ. आशुतोष तिवारी**